बिहार सरकार

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाशनारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना–800023

NATIONAL HEALTH MISSION

Email id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586
Website - http://lnjporthohospital.org

आदेश

(1) इस कार्यालय के आदेश संख्या 1933/24.08.2024 के आलोक में मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज के प्रोपराईटर श्री हरीश सहाय द्वारा कर्मीयों की सूची उपलब्ध करायी गई है तथा इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक आपत्ति आवेदन कार्यालय में समर्पित किया गया है।

(2) मे0 इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या 7502/2024 में माननीय न्यायालय के द्वारा Status Quo दिया गया है न की Stay दिया गया है।

3. मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज के विरूद्ध तत्कालिन निदेशक डॉ0 एन0एन0राय0, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के द्वारा दिया गया उक्त आदेश ज्ञापांक 814 दिनांक 10.04.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या – 7502/2024,मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के अंतर्गत चुनौती दी गई।

4. उक्त समादेश याचिका की सुनवाई करते हुए दिनांक 17.05.2024 को माननीय पटना, उच्च न्यायालय, के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है –

Having Regard to the facts and Circumstances there shall be Interim Stay of the impugned order till the next date of hearing.

5. पुनः दिनांक 26.07.2024 को सुनवाई के क्रम में माननीय पटना उच्च न्यायालय, के द्वारा Interim Stay के आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

6. स्पष्ट है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय, के द्वारा Interim Stay दिया गया है न कि Status Quo।

7. तत्कालीन निदेशक डॉ0 एन0एन0 राय0 लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक – 814/दिनांक 10.04.2024 के द्वारा मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज के अनुबंध को रद्द करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक 30 तीस दिन का नोटिस दिया गया। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन निदेशक के इस पत्र को ही माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिया गया। उक्त स्थिति में जब मे0 सरस्वती इंटरप्राइजेज के साथ अनुबंध समाप्त करने संबंधी तत्कालिन निदेशक के आदेश को माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगित कर दिया गया है तब मे0 सरस्वती इंटरप्राइजेज अपने 10.04.2024 से पूर्व स्थिति प्राप्त कर चुके हैं।

8 स्वास्थ्य विभाग ज्ञापांक 837(12) दिनांक 02.09.2024 के द्वारा संसूचित किया गया है कि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा प्रकाशित निविदा सं0 – BMSIC/20045/02-2023/01 एवं BMSIC/20045/01-2023/02 , जिनके माध्यम मे0 इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी ऑफ इंडिया का चयन किया गया था, को गलत निविदा शर्तों के कारण रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 814 दिनांक 10.04.2024 को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना अद्योहस्ताक्षरी का दायित्व है एवं साथ ही माननीय न्यायालय की आदेश का अवमानना करना दंडनीय भी है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज के द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश को तत्कालीन निदेशक के द्वारा लागू नहीं किये जाने के कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय में अवमाननाबाद, M.J.C. No- 2099/2024 भी दायर किया जा चुका है।

अतः उक्त के आलोक में आदेश दिया जाता है कि –

Banda
03-09-2024

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार

कार्यालय, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाशनारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना–800023

NATIONAL HEALTH MISSION

Email id – lnjpnhospital@gmail.com Ph. No. -0612-2280973, M.No.- 9470003586
Website - http://lnjporthohospital.org

1 मे0 इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी ऑफ इंडिया 30, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना– 13 को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत की तिथि से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में आउटसोर्स के आधार पर मानव संसाधन (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) की आपूर्ति अनिवार्य रूप से बंद कर दे।

2 मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज, हॉस्पिटल रोड, सिविल लाईन बक्सर को आदेश दिया जाता है कि वे उपलब्ध कराये गये कर्मियों की सूची के अनुसार 24 घंटे के अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में मानव संसाधन की आपूर्ति सुनिश्चित करे, और डॉ शिवेन्द्र कुमार सिंह परामर्शी, (अस्थि रोग) से सत्यापित कराते हुए अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करें।

3 आदेश निर्गत की तिथि से मे0 इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त कर्मियों को इस संस्थान में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी न ही उनके द्वारा बिना अनुमति के कार्य किया जाता है तो उसके विरूद्ध न तो विपत्र का सृजन हो सकेगा और न ही उसका भुगतान किया जायेगा। यदि कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगें उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4 उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले एंजेन्सी के विरूद्ध भी नियमानुकुल कार्रवाई की जायेगी।

5 उपरोक्त आदेश निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

6 यह आदेश समादेश याचिका संख्या 7502/2024, मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से तदनुसार प्रभावित होगा।

7 इस आदेश को शीघ्रताशीघ्र संस्थान के बेवसाईट पर पोस्ट किया जाये, सभी संबंधितों को ई0मेल के माध्यम से या व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर अन्यथा संसुचित किया जाये, संस्थान के सूचना पट्ट पर चशपा कर दिया जाये एवं साथ ही ऑफिसियल Whats App ग्रुप में पोस्ट किया जाये।

ह0/–
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

ज्ञापांकः– 2036 दिनांकः– 03/09/2024

प्रतिलिपि :–

1 मे0 इंटेलिजेन्स सिक्युरिटी ऑफ इंडिया,30 पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना –13 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2 मे0 सरस्वती इंटरप्राईजेज, हॉस्पिटल रोड, सिविल लाईन बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
3 डॉ0 शिवेन्द्र कुमार सिंह परामर्शी अस्थि रोग को सूचनार्थ अनुपालनार्थ प्रेषित।
4 मो0 मोजीबुर रहमान, सरकार के अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,बिहार पटना को उनके पत्रांक 279(10) दिनांक 27.05.2024 एवं संसोधित पत्र का पत्रांक 280(10) दिनांक 27.05.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5 श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को उनके पत्रांक– 762(12) दिनांक 05.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6 प्रबंध निदेशक,बी0एम0एस0आई0सी0एल0, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
7 कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
8 अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

03-09-2024
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

Scanned with OKEN Scanner